न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपील संख्याः 76 / 2024 निर्णय दिनांकः– 29-10-25
(जीसीएमएस संख्या 2024 / 456)

1. ओमप्रकाश
2. हरीराम

पिसरान शिवदान राम जाति कुम्हार निवासी चक बन्धा नं. 2 सांखला बस्ती कोलायत, जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. सुरेन्द्रपाल सिंह पुत्र निरभय सिंह जाति जट सिख निवासी शंवर हाल 28 रविन्द्र दास रोड, हाउसलो वेस्ट, मिडिल टी.डब्ल्यू. 4, 7 ई.यू. इग्लैण्ड जरिये मुख्तियार आम श्री राम पुत्र चुन्नी लाल जाति कुम्हार निवासी चक बन्धा नं. 1, सांखला बस्ती तहसील कोलायत, जिला बीकानेर।
2. गुरविन्द्र सिंह पुत्र परगट सिंह जाति जट सिख निवासी सबरीकलां तहसील जगराओ जिला लुधियाना।
3. भूषण जिन्दल पुत्र देवराज जाति जिन्दल निवासी 169022, आनन्द आश्रम के पास बसन्त विहार भटिण्डा तहसील भटीण्डा जिला भटिण्डा।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भू.अ. कोलायत जिला बीकानेर।
5. श्रीमान उपपंजियक कोलायत।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, कोलायत
दिनांक 03–05–2024

<u>उपस्थितः–</u>

1. श्री करण सिंह तंवर, अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट।
3. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट्स ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के आदेश दिनांक 03–05–2024 जिसके द्वारा दिनांक 23–04–2024 का पारित

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आदेश विड्रो किया गया के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किए की अपीलाधीन भूमि निर्भय सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी। रेस्पोडेंट संख्या 01 सुरेन्द्रपाल सिंह द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अर्न्तगत धारा 88, 188 आरटीए प्रस्तुत किया जिसके साथ प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आटीए प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र में आदेश दिनांक 22–02–2024 द्वारा एकपक्षीय स्थगन आदेश जारी किया गया। प्रकरण में मूल दावे में आदेश आर्डर 7 रूल 11 का प्रार्थना पत्र पेश हुआ। आदेशिका दिनांक 23–04–2024 द्वारा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आर्डर 7 रूल 11 स्वीकार करने से अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 22–02–2024 को निरस्त कर पत्रावली दाखिल दफतर कर दी गई। इस प्रकार दिनांक 23–04–2024 को 212 का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जा चुका था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03–05–2024 को प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए उसी दिन दिनांक 23–04–2024 को जारी आदेश को विड्रो कर लिया गया। प्रकरण में हमें बिना सुनवाई का अवसर दिये हुए रिव्यू प्रार्थना पत्र मंजूर कर लिया गया जिससे स्थगन आदेश पुनः प्रभाव में आ गया। प्रकरण में अपीलांट/अप्रार्थी के उपस्थित होते हुए भी उसे सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। प्रकरण में आर्डर 39 रूल 3 की पालना नहीं कि गई है वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में कोई भी दस्ताावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है जिससे निर्भय सिंह की वसीयत अथवा मृत्यु के संबंध में कोई विनिश्चय किया जा सके। अपीलांट के रजिस्टर्ड बैयनामें को आज दिनांक तक कहीं चुनौती नहीं दी गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत सीसीसी 18 पेज 2018, सीसीसी 2012 पेज 435, आरआरटी 2015 I पेज 633 पेश किये।

4. अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने जवाब बहस में कथन किया कि अपील अधीन अराजी रेस्पोडेंट संख्या 01 के पिता निर्भय सिंह की खरीद शुदा जमीन थी। निर्भय सिंह इंग्लैण्ड चला गया तथा दिनांक 09–08–1997 को उसका देहान्त हो गया देहान्त से पूर्व दिनांक 22–03–1996 को उसने

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपनी सम्पति की वसीयत अपनी पत्नी गुरूचरण कौर के नाम कर दी। गुरूचरण कौर ने दिनांक 07–01–1998 को इस सम्पति की वसीयत रेस्पोडेंट संख्या 01 सुरेन्द्रपाल सिंह और उसके भाई तेजेन्द्र सिंह के नाम कर दी। तेजेन्द्र सिंह ने दिनांक 28–05–1999 को अपना हिस्सा भी रेस्पोडेन्ट संख्या 01/वादी को दे दिया। रेस्पोंडेंट संख्या 02 ने फर्जी व्यक्ति निर्भय सिंह को दिनांक 08–07–2013 को उपपंजीयक के समक्ष उपस्थित करवाकर अपीलाधीन भूमि अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली। जबकि निर्भय सिंह की मृत्यु दिनांक 09–08–1997 को हो चुकी थी। प्रकरण में दिनांक 19–03–2024 को आर्डर 07 रूल 11 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ जिसमें अगली ही तारीख पेशी दिनांक 23–04–2024 पर जवाब बन्द कर एक्स पार्टी फैसला कर दावा खारिज कर दिया। दिनांक 03–05–2024 को इस आदेश को रिव्यू किया गया। आदेशिका दिनांक 27–06–2024 द्वारा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आर्डर 07 रूल 11 खारिज किया जा चुका है। जिसके विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल में अपीलांट द्वारा रिविजन पेश की गई। अतः अपीलाधीन फेसले की जानकारी होने के बावजूद अपील विलम्ब से पेश कि गई है। मियाद के आधार पर भी अपील खारिज योग्य है। अपीलाधीन आदेश एक अन्तरिम आदेश है जिसके विरूद्ध अपील पोषणीय ही नही है। अधिवक्ता रेस्पोडेंट अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2022–23 पेज 699, 2014 पार्ट–I आरएलडब्ल्यू पेज 04, 2023 पार्ट I डीएनजे पेज 188 पेश किए।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

5. उभयपक्ष की बहस का मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत समस्त न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22–02–2024 को प्रकरण में एकपक्षीय स्थगन आदेश जारी किया गया था। आदेशिका दिनांक 23–04–2024 द्वारा मूल वाद खारिज करने से इस अस्थाई निषेधाज्ञा को भी खारिज कर दिया गया। दिनांक 03–05–2024 को जरिये रिव्यू दिनांक 23–04–2024 का आदेश विड्रो कर लिया गया।

प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि दिनांक 03–05–2024 के आदेश के वक्त अपीलांट प्रकरण में हाजिर आ चुके थे। इसके उपरांत भी उन्हे बिना सुनवाई का अवसर दिये हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रकरण में यह तथ्य भी निर्विवाद है कि 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र में अभी जवाब प्रार्थना पत्र आना शेष है। एकपक्षीय स्थगन आदेश दिनांक 22–02–2024 को जारी किया गया था। प्रकरण में आर्डर 39 रूल 3 की पालना नहीं हुई है। लगभग 2 साल के उपरांत भी स्थगन प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वेच्छाचारी तरीके से प्रकरण में आदेश पारित किये गये है। प्रकरण अधीनस्थ न्याायालय में जवाब प्रार्थना पत्र के स्तर पर लम्बित है। इस सूरत में अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दूओं– प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन और अपूरर्णीय क्षति पर विचारण कर गुणावगुण पर निर्णय पारित होना शेष है।

उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर प्रकरण पुनः इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण का एक माह में अंतिम निस्तारण करना सुनिश्चित करे। उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 07–11–2025 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

7. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 29-10-25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर